

(129)

Government of Rajasthan

Parliamentary Affairs Department

No. F7(1) Sansad/2010

Jaipur, dated 9-11-10

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 8-D of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. VI of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Secretarial Assistance) Rules, 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1st day of April, 2010.

2. Definitions.- In these rules, unless the subject or context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) act, 1956 (Act No. VI of 1957);
- (b) "Assembly" means the Rajasthan Legislative Assembly;
- (c) "Member" means a member of the Legislative Assembly of the State, but save as otherwise expressly provided in the Act, does not include-
 - (i) a Minister as defined in the Rajasthan Minister's Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956); and
 - (ii) an Officer of the Legislative Assembly for the State as defined in the Act.
- (d) "Secretary" means the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and includes any officer of the said

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

सं. एफ 7(1) संसद/2010

जयपुर, दिनांक 9.11.10

अधिसूचना

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 8-घ के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (सचिवालयिक सहायता) नियम, 2010 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2010 से ही प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) अभिप्रेत है;
- (ख) “सभा” से राजस्थान विधान सभा अभिप्रेत है;
- (ग) “सदस्य” से राज्य की विधान सभा का कोई सदस्य अभिप्रेत है किन्तु अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय,
- (i) राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) में यथा-परिभाषित कोई मंत्री, और
- (ii) अधिनियम के यथापरिभाषित राज्य की विधान सभा का कोई अधिकारी, इसके अन्तर्गत नहीं है,
- (घ) “सचिव” से राजस्थान विधान सभा का सचिव अभिप्रेत है और इन नियमों के अधीन सचिव के कृत्यों का पालन करने के लिए

(130)

Assembly, specially empowered by the Speaker to perform the functions of the Secretary under these rules.

3. Secretarial Assistance to members.— (1) Every member shall be provided with an employee, drawing pay in a Grade pay not exceeding Grade Pay No. 9 as specified in the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, by the Revenue Department of the State Government as Secretarial Assistance or, at the option of the member a lump sum amount per mensem as prescribed in section 8-D of the said Act shall be paid to the member in lieu of the Secretarial Assistance.

(2) If a member intimate in writing to the Secretary that he shall not avail the facility of an employee from the State Government, then he shall be entitled for a lump sum amount as prescribed under sub-rule (1) :

Provided that if the member avails the facility of an employee, then he shall intimate in writing to the Secretary.

(3) At the end of financial year, every member shall give a Utility Certificate for that amount which he has received under sub-rule (1) to the Secretary.

By Order of the Governor,

S. D. Tak

Principal Secretary to the Government

अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सशक्त उक्त सभा का कोई अधिकारी इसके अन्तर्गत है।

3. सदस्यों को सचिवालयिक सहायता.- (1) प्रत्येक सदस्य को राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में यथा-विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन सं. 9 से अनधिक की ग्रेड वेतन में वेतन आहरित करने वाला एक कर्मचारी सचिवालयिक सहायक के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा या सदस्य के विकल्प पर सचिवालयिक सहायता के बदले में सदस्य को उक्त अधिनियम की धारा 8 घ में यथा-विहित प्रतिमाह एकमुश्त राशि संदत्त की जायेगी।

(2) यदि कोई सदस्य सचिव को लिखित में सूचित करता है कि वह राज्य सरकार से किसी कर्मचारी की सुविधा प्राप्त नहीं करेगा तो वह उप-नियम (1) के अधीन यथा-विहित एकमुश्त राशि के लिए हकदार होगा :

परन्तु यदि सदस्य किसी कर्मचारी की सुविधा प्राप्त करता है तो वह सचिव को लिखित में सूचित करेगा।

(3) वित्तीय वर्ष के अन्त में, प्रत्येक सदस्य उस रकम, जो उसने उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त की है, का एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र सचिव को देगा।

राज्यपाल के आदेश से,

एस. डी. टाक

प्रमुख शासन सचिव,